


20.3.25 वकील गर्धी उपस्थित। वकील गर्धी द्वारा डिही
अनुवाद राजस्व रिकॉर्ड में अंकन योग्य कराया।
गर्धी - पत्र में कोश का रूपांतरण नहीं होने
पर गर्धी - पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
नंबर से कर होकर डाकिल इकाई है।

आदेश लरे इकाई अनुवाद गया।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS
2021/154

